'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.08.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 18 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 अगस्त, 2018

गोयल को क्यों हटाया जाना चाहिए

हाल में सुप्रीम कोर्ट में रहे जज, ए. के. गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) का अध्यक्ष बनाया गया जिसको लेकर के दलित–आदिवासी में बहुत बड़ा रोष है। कारण यह है कि गोयल 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के जज रहे, इसके पहले एक दूसरे निर्णय में भी ये जज रहे, जिससे विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू करने का आधार विभाग को कर दिया न कि पूरी संस्था। इसका प्रतिकूल असर यह हुआ कि दलित और पिछड़े दोनों शिक्षण संस्थान में लगभग भर्ती बंद हो गयी। इस सम्बन्ध में 5 मार्च को यूजीसी के द्वारा परिपत्र जारी हुआ और उसके बाद वर्षो से बंद हुई भर्तियों के लिए दना–दन विज्ञापन जारी होने लगे। इसके लिए अतिउत्साह इसलिए दिखाया गया कि दलित आदिवासी को बिना आरक्षण दिए भर्तियाँ कर ली जायें उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ जिसमे 65 में से मात्र 2 पिछड़े वर्ग का जगह निकली। सरकार ने रोक लगा दी वरना लगभग 20 साल तक के लिए आरक्षण पर रोक लग जाती। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सम्बन्ध में निर्णय में कहा गया कि एफआईआर तभी दर्ज होगा जब डीएसपी के स्तर पर अधिकारी रिपोर्ट दाखिल करेगा। अगर कर्मचारी हो तो उसका उच्च अधिकारी, जनता हो तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लिख कर दे तभी गिरफ्तारी होगी। अदालत से यदि मुकदमा सफल नही होता है तो जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी।

जजों का मानना था कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का दुरुपयोग हो रहा था। संविधान के मौलिक अधिकार का भी उद्धरण किया गया कि किसी भी व्यक्ति को कैसे झूठे और बिना अवसर दिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे इनकार नही किया जा सकता है कि कानून का दुरुपयोग नही होता है। ए.के. गोयल के खिलाफ आक्रोश इस बात का है कि उन्हें और कानूनों के दुरुपयोग के बारे में क्यों नही दिखा। जितना दुरुपयोग दहेज विरोधी कानून का हुआ है शायद ही किसी और कानून का ऐसा हुआ हो। बलात्कार और छेड़खानी सम्बंधित कानून का बेतहाशा दुरुपयोग हो ही रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जजों का जातिवादी सोंच झलकती है और इसलिए उचित है कि श्री गोयल को हटाया जाये।

दूसरा आधार यह है कि उच्च न्यायपालिका में सब कुछ सही नही चल रहा है और उसका मापदंड यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस वार्ता कर यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायपालिका में भारी गड़बड़ी है। कुछ जज जातिवादी हैं इसमें कोई संदेह नही है उसका दूसरा

उदाहरण यह भी है कि जस्टिस कर्णन को जेल ही नही भेजा गया बल्कि कार्य छीन लिया गया जबकि यह अधिकार संसद को ही है। जब से कोलोजियम सिस्टम आया है। जजों की नियुक्ति में भाई–भतीजावाद चलने लगा है, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जायेंगे कि एक ही खानदान के बाप–बेटा या रिश्तेदार जज बने हैं। जो जिस जाति से आयेगा, क्या उस सोंच और संस्कार से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है जो कि असंभव है। इंसान केवल हांड और मांस से ही नही बना है बल्कि उसकी अपनी सोच, भावना और संस्कार जाति परिवार से निर्मित होता है। शत–प्रतिशत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण समाज से ही जज हैं और ऐसे में दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की भावना का प्रतिनिधित्व का अभाव न्यायपालिका में है। भारतीय समाज विविधता का समाज है और कोई भी संस्था जो पूरे समाज के सरोकार से जुडी हो तो प्रतिनिधित्व भी सभी वर्गो से होना चाहिए।

जब से दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिला है तब से मेरिट की चर्चा शुरू हुई है। जन्म और जाति के आधार पर आरक्षण सदियों से चलता आ रहा है तो उस सन्दर्भ में मेरिट की बात कभी नही उठी बल्कि पद, प्रतिष्ठा और काम जाति के आधार पर होते रहे हैं। क्या कभी जाति के आधार पर पूजा पाठ मंदिर में आरक्षण के आधार पर बात होती है ? इन मामलों में तो जाति के आधार पर मेरिट तय होती है। जनतंत्र में नीति बनाने का अधिकार जनता को है न कि किसी व्यक्ति विशेष को 1993 में कोलोजियम सिस्टम लागू हुआ और तभी से जज जज बनाने लगे हैं और सरकार की भूमिका नगण्य हो गयी है। सरकार 125 करोंड जनता की चुनी हुई भावना और इच्छा है। संविधान में कहीं भी ऐसा प्रावधान नही है कि जजों की नियुक्ति में इनकी ही निर्णायक भूमिका रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में जज को जज नही नियुक्त करते बल्कि अधिकतर स्थानों में सीधे राजनैतिक हस्तक्षेप है। ज्यादातर जज अयोग्य इसलिए है कि ये स्वयं ही न किसी परीक्षा या साक्षात्कार या लड़े गए मुकदमों की गुणवत्ता के आधार पर नियुक्त होते हों। वर्तमान हालात में जजों के ऊपर अभियोग भी नही चलाया जा पा रहा है ऐसे में नीचे–ऊपर और अगल–बगल कोई नही है अगर है तो यही हैं, ऐसे में इनका फैसला देश का कानून कैसे हो सकता है लेकिन परंपरा बन गयी है जो गलत है। जब तक न्यायपालिका में यह स्वरुप है तब तक दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को न्याय मिले यह संभव नही है। इंदिरा साहनी जिसे मंडल जजमेंट के नाम से जाना जाता है के मामले की सुनवाई हो रही थी तब पिछड़ों को आरक्षण देने का विषय था लेकिन निर्णय से अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण प्रभावित हुआ जैसे पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने आदि की बात, ऐसे ही नही ए. के. गोयल को हटाने की मांग हो रही है बल्कि इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। ऐसे जज को कम से कम पुरस्कृत तो नही करना चाहिए।

***

परिसंघ की रैली

3 दिसंबर, 2018
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की महारैली आगामी 3 दिसंबर, 2018 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से रामलीला मैदान, (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास), नई दिल्ली में आरक्षण सहित अन्य अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकरों के मुद्दों पर होना सुनिश्चित हुई है। लगातार दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार व उत्पीड़न की घटनाओं के बावजूद भी यदि हम शांत बैठे रहे तो हमारे अधिकार कोई नहीं बचा सकता। इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा मकसद हमारी सहनशीलता का परीक्षण भी है। परिसंघ के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इसकी सफलता के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रचार सामाग्री एवं आवश्यक दिशानिर्देशा ''वॉयस ऑफ बुद्धा'' सहित अन्य माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचती रेहगी। रेल से यात्रा करने वाले साथी अभी से ही आरक्षण (टिकट) इत्यादि करवा लें। प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन प्रदेशों में अभी तक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, शीघ्र ही करा लें। जहां पर मुझे आने की जरूरत समझें, मैं स्वयं आ सकता हूं।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook/aiparisangh पेज को लाइक करे, टिवट्र @aiparisangh को फॉलो करें और युटूब aiparisangh को भी देखेंऔर परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com को देखें। किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय में सुमित मो. 9868978306 में सम्पर्क करें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

AlParisangh AlParisangh 9899766443 parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

दुनिया का सब से बडा खुलासा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं

ए.बी.पी. न्यूज रिर्पोट

स्वीजरलेन्ड जेनेवा वैज्ञानिक संस्था ने कल यह खुलासा किया है कि दुनिया किसी ईश्वर ने नही बनाई है, बल्कि कवार्क लेबोनेन नाम के कणो से निर्मित हुई है। जिसकी वजह से ब्रह्मांड यानी दुनिया निर्मित हुई है। दुनिया बनाने वाला इस कण की शोध को वैज्ञानिक दुनिया की सबसे बडी शोध बताते है। यह खोज 1980 से शुरु की थी जिसमें विश्व भर के वैज्ञानिको की टीम कार्यरत थी, जिसमें भारत से बलदेव राज डावर नामक वैज्ञानिक भी शामिल थे और महा वैज्ञानिक हीग बोशन भी शामिल थे, उन्होने यह परीक्षण दो बार किया और नतीजा एक जैसा ही आया और सिद्ध किया कि कवार्क लेबेनोन नाम के कणों ने एक प्रचंड शक्ति से पृथ्वी, जल, हवा, सूरज, चांद, पेड पौधे स्वयं निर्मित किए हैं। इस के पीछे कोई ईश्वर का करिश्मा या चमत्कार नही है।

हालाकि उन्होंने यह भी कहा कि आज से 2500 साल पहले ''तथागत बुद्ध'' ने बताया था की दुनिया स्वयं संचालित है। इस का कर्ता कोई नहीं है लेकिन इस बात से खफा होकर कट्टरवादिओ ने तथागत बुद्ध के धर्म का पतन कर दिया था और बौद्धिष्टो को मौत के घाट उतारा था। इस बात से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दुनिया के सभी धर्मो गुरुओं ने यही गलत प्रचार किया था की सृष्टि की रचना उसके मसींहा ने की थी हालाकि यह बात आज सरासर गलत साबित हुई है।

तथागत गौतम बुद्ध ने पहले इस बात का जिक्र किया था कि हमारा शरीर चार तत्वों से बना और चलता है किसी ईश्वर से नही। यही चार तत्व पृथ्वी, हवा, जल और अग्नि है और इन चार तत्वों का निर्माण कवार्क लेबेनोन नाम के कण से हुआ है। इन चार तत्वों को अलग -अलग करोगे तो वैज्ञानिक दृष्टकोण सामने आएगा, जैसे जल=हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वायु= ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य जैसे, अग्नि=ऊष्मा, पृथ्वी= कार्बन, फॉस्फोरस, कैलसियम, आयरन और अनेक तत्वों से बनी है। ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध के बताए इन चार तत्वों में आकाश को जोड़कर पांच तत्व बना दिए जबकि आकाश तो खाली (स्पेस) है जो सूर्य के प्रकाश के कारण नीला दिखता है। आज से अपने दिमाग से यह काल्पनिक भय को दूर कर के सत्य प्रेम और करूणा के साथ मैत्री से जीवन जिएं और जीने दें इसी में मानवता का कल्याण निहित है ।

कोई ईश्वर सत्य नही है बल्कि काल्पनिक है। कोई ईश्वर चमत्कार नहीं करता है ये एक मनगढ़न्त बाते है। ये संसार प्राकृतिक है, किसी ईश्वर ने नही बनाया है।

***

अस्पृश्यों के दुर्भाग्य का मुख्य कारण : हिन्दू धर्म और उसकी शिक्षाएं

-एच.एल. दुसाध

दुनिया के जिन मानव समुदायों को शोषण-उत्पीड़न और क्रूरतम व्यवहार का शिकार बनना पड़ा वे हैं, प्राचीन रोम और आधुनिक अमेरिका के गुलाम तथा भारत के दलित। लेकिन प्राचीन रोम के गुलाम जहां इतिहास के पन्नों की वस्तु बनकर रह गए हैं, वही अमेरिका के नीग्रों गुलामों के लिए वहां के गोरे प्रभु-वर्ग द्वारा शोषण-उत्पीड़न भी अतीत का विषय बनकर रह गया है। कल के काले गुलाम आज सप्लायर, डीलर, ठेकेदार, मैनुफैक्चरर्स इत्यादि बनकर उद्योग-व्यापर के क्षेत्र में नया अध्याय रच रहे हैं। वे हालीवुड में बड़े राइटर्स, स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के रूप में अपनी सबल उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, तो खेल-कूद, म्यूजिक इत्यादि में अमेरिका की खास पहचान उन्हीं से ही है। गुलामों के गुलाम भारत के अस्पृश्यों के विषय में यह दावा नहीं किया जा सकता। वे मानव सभ्यता के विकास और तमाम संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद आज भी हिन्दुओं का शोषण-उत्पीड़न झेलने के लिए अभिशप्त हैं। बहरहाल जिन लोगों का पशुवत इस्तेमाल कर मानवता को शर्मसार किया गया उनमें एकमात्र अभागे दलित हैं, जिनके शोषण-उत्पीड़न और अवनति में धर्म की सबसे जोरदार भूमिका रही, ऐसा डॉ. आंबेडकर का मानना है। इसके पक्ष में जो उन्होंने युक्ति खड़ा किया है, उसे बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण वांग्मय में खंड -9 के पृष्ठ 141-148 पर पढ़ा जा सकता है।

अपनी बात की शुरुआत करते हुए डॉ. अंबेडकर लिखते हैं 'जिन परिस्थितियों में हिन्दुओं ने अस्पृश्यों के विरुद्ध हिंसा तक का सहारा लिया है, वे परिस्थितियां सभी को समान स्वतंत्रता की चाहत की रही हैं। अगर अस्पृश्य अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, तब उन्हें हिन्दुओं द्वारा जुलूस निकालने पर कोई ऐतराज नहीं होता । अगर अस्पृश्य सोने और चांदी के जेवर पहनना चाहते है, तब हिन्दुओं को भी वैसा अधिकार रहे, इस पर वे कोई ऐतराज नहीं करते। अगर अस्पृश्य अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तब वे हिन्दुओं के बच्चों को शिक्षा की पूरी आजादी देने का विरोध नहीं करते। अगर अस्पृश्य कुएं से पानी भरना चाहते हैं, तब हिन्दुओं द्वारा पानी भरने के अधिकार का उपयोग किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। इन सबका कोई अंत नहीं है, यहाँ इन्हें गिनाने की जरुरत नहीं है। सीधी सी बात है, वह यह कि अस्पृश्य जो स्वतंत्रता चाहते हैं, वह सिर्फ अपने लिए नहीं है, और वह हिन्दुओं के समान स्वतंत्रता के अधिकार से भीं नहीं है। तब हिन्दू ऐसी इच्छाओं को जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती और जो पूर्णतः न्यायसंगत है, अमल में न आने देने के लिए हिंसा पर क्यों उतर आते हैं? हिन्दू अपने अन्याय को न्यायसंगत क्यों मानते हैं? कौन यह इनकार कर सकता है कि अस्पृश्यों के साथ हिन्दुओं के व्यवहार में जो कुछ अपकर्म होता है, उसे सामाजिक अपराध के अतिरिक्त और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह मनुष्य की मनुष्य के प्रति घोर अमानवीयता है। अगर किसी डॉक्टर के द्वारा मरीज का इसलिए इलाज न करना कि मरीज अस्पृश्य है, अगर हिन्दुओं के एक गिरोह द्वारा अस्पृश्यों के घरों को जला डालना, अगर अस्पृश्यों के कुँओं में मैला डलवा देना अमानवीय कार्य नहीं है, तब मैं सोचता हूँ यह और क्या है? प्रश्न यह है कि हिन्दुओं में विवेक क्यों नहीं है?

इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अन्य देशों में वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि के आधार पर बने। गुलामों और खेतिहर गुलामों की धर्म में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी अपेक्षा अस्पृश्यता मुख्यतः धर्म पर आधारित है, हालांकि इससे हिन्दुओं को आर्थिक लाभ होता है। जब कभी आर्थिक या सामाजिक हित की बात होती है, तब कुछ भी पवित्र या अपवित्र नहीं होता। गुलाम-प्रथा और खेतिहर गुलाम-प्रथा क्यों कर मिट गयी और अस्पृश्यता क्यों कर नहीं मिटी, इसका यही स्पष्ट कारण है। दो अन्य प्रश्नों का भी यही उत्तर है। अगर हिन्दू अस्पृश्यता का पालन करते हैं तो इसलिए कि उनका धर्म उसे ऐसा करने का आदेश देता है। अगर उसकी इस स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध उठाने वाले अस्पृश्यों का वह नृशंसता और अन्यायपूर्वक दमन करता है, तब उसका कारण उसका अपना धर्म है, जो उसे केवल इस बात की ही शिक्षा नहीं देता कि यह स्थापित व्यवस्था दैवीय विधान है और इसलिए पावन है, बल्कि उस पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी आरोपित करता है कि उसे इस स्थापित व्यवस्था को हर संभव उपाय से कायम रखना है। अगर वह मानवता की पुकार को नहीं सुनता, तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म अस्पृश्यों को मानव समझने के लिए उसे बाध्य नहीं करता। अगर अस्पृश्यों को मारने-पीटने, उनके घरों को लूटने तथा जलाने और उनपर अत्याचार करते समय उसे अपने विवेक का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म उसे इस बात की शिक्षा देता है कि इस सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करने के लिए किया गया कोई भी कर्म पाप नहीं है।

वस्तुतः इस बारे में और अधिक तूल देने के कोई आवश्यकता नहीं। यह निर्विवाद है कि अस्पृश्यों के दुर्भाग्य का मुख्य कारण हिन्दू धर्म और उसकी शिक्षाएं हैं। जहाँ तक गुलाम-प्रथा का सम्बन्ध गैर-इसाई धर्म व इसाई धर्म और अस्पृश्यता का संबंध हिन्दू-धर्म से है। इन दोनों के बीच तुलना करने से यह पता चल जायेगा कि इन दोनों धर्मो का मानव संस्थाओं पर कितना भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा है। अगर पहले धर्म से मानव समाज का उत्थान हुआ, तो हिन्दू धर्म के कारण मानव समाज का कितना अधिक पतन हुआ। जो लोग अकसर गुलाम प्रथा के साथ अस्पृश्यता की तुलना करते हैं, वे यह नहीं सोचते कि वे विरोधी स्थितियों की परस्पर तुलना कर रहे हैं। कानून के अनुसार गुलाम स्वतंत्र व्यक्ति नहीं थे, तो भी सामाजिक दृष्टि से उन्हें वह सारी स्वतंत्रता प्राप्त थी, जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक थीं। इनकी अपेक्षा एक अस्पृश्य व्यक्ति कानून के अनुसार स्वतंत्र व्यक्ति तो है, फिर भी सामाजिक तौर पर उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी।

यह निश्चय ही विरोधपूर्ण स्थिति है, जो साफ नजर आती है। इस विरोध पूर्ण स्थिति का क्या कारण है? इसका एक ही कारण और वह यह कि वहां धर्म गुलामों के पक्ष में था, जब कि यहां यह अस्पृश्यों के विपक्ष में है। रोम के कानून में यह घोषित किया गया कि गुलाम की कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। लेकिन रोम के धर्म ने इस सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और उस सिद्धांत को किसी भी हालत में सामाजिक क्षेत्र में लागू करना स्वीकार नहीं किया। उसने गुलाम को मित्र होने योग्य समझकर उसके साथ मानवोचित व्यवहार किया। हिन्दू कानून में यह घोषित किया गया कि अस्पृश का कोई व्यक्तित्व नहीं है। गैर-इसाई धर्म के विपरीत, हिन्दू धर्म ने इस सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसे सामाजिक क्षेत्र में लागू भी कर दिया। चूँकि हिन्दू कानून ने अस्पृश्य का कोई व्यक्तित्व स्वीकार नहीं किया, इसलिए हिन्दू धर्म उसे मानव नहीं माना कि वह मित्रता के योग्य हो सकता है।

अस्पृश्यों की दुर्दशा के मूल में हिन्दू धर्म कि क्रियाशीलता को प्रमाणित करने के बाद डॉ आंबेडकर आगे बताते हैं कि किस तरह धर्म ने रोम और अमेरिका के गुलामों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता की। इतना सब बताने के बाद शेष में निष्कर्ष देते हुए कहते हैं 'संक्षेप में कहा जा सकता कि कानून और धर्म दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कभी-कभी तो उनका चोली-दामन का साथ होता है और कभी वे एक दूसरे की खामियों को सुधारने का काम भी करते हैं। इन दोनों तत्वों में कानून का संबंध व्यक्ति से है, जब कि धर्म निर्वैक्तिक होता है। कानून क्योंकि व्यक्ति पर आधारित है, इसलिए वह अन्याय और असमानता का कारण हो सकता है। परन्तु धर्म के साथ यह बात नहीं है, इसलिए वह निष्पक्ष रह सकता है। यदि धर्म निष्पक्ष होगा, तो वह कानूनी असमानता को दूर करने की क्षमता रखता है। रोम में गुलामों के संबंध में ऐसा ही हुआ। इसी कारण धर्म के विषय में कहा जाता है कि वह मनुष्य को उदात्त बनाने के लिए है, न कि उसे अवनत करने के लिए। हिन्दू धर्म एक अपवाद है। इसने अस्पृश्यों को अधः प्राणी बना दिया। इसने हिन्दू को अमानुषिक बना दिया। इस अधः प्राणी की स्थापित व्यवस्था से और न अमानुषिकता से ही त्राण पाने का कोई उपाय दीखता है।

डॉ. आंबेडकर ने दलितों की शोषण-उत्पीड़न और अवनति के पृष्ठ में हिन्दू धर्म की क्रियाशीलता का उपरोक्त तथ्य बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रस्तुत किया था। लेकिन अस्पृश्यों को मुक्त करने की दिशा में आंबेडकर के ऐतिहासिक प्रयासों के बावजूद इक्कीसवीं सदी में भी स्थिति में खूब बदलाव नहीं आया है। वे आज भी उन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल अबाध रूप से नहीं कर सकते जिनका उपभोग करने का हिन्दू अभ्यस्त हैं। वे आज भी अमेरिका के काले गुलामों की भांति सप्लायर, डीलर, मीडिया कर्मी, फिल्मकार इत्यादि बनने का दुसाहसपूर्ण सपना नहीं देख सकते। उनके इन सपनों के मार्ग में हर बार एवरेस्ट बनकर खड़ी हो जाती है हिन्दू धर्म निर्मित प्रभु वर्ग की मानसिकता। लेकिन हिन्दू धर्म का इतना ही अपराध नहीं है कि इसने गैर-दलितों में मानवता-विरोधी सोच कूंट-कूंट कर भर दिया है इसका सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि इसने दलितों के साथ आदिवासी, पिछड़ों और महिलाओं के रूप में आधी आबादी को चिरकाल के लिए शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनितिक-शैक्षिक-धार्मिक इत्यादि) से दूर धकेल कर इन्हें गुलामों से भी बदतर हालात में पहुंचा दिया। इसके ऐसा करने पर देश लगभग 93 प्रतिशत मानव संसाधन से चिरकाल के लिए महरूम हो गया और हम डेढ़ हजार सालों तक विदेशियों की गुलामी झेलने के लिए अभिशप्त हुए। भारी आश्चर्य का विषय है कि ऐसे हिन्दू धर्म की ठेकेदार बनी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए ढेरों बहुजन प्रतिभाएं एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं।

***

पाकिस्तान बनाने का समर्थन सबसे पहले पटेल ने किया था, नेहरू ने नहीं !

देश के बंटवारे को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर गांधी ने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव बेशक रखा था लेकिन मार्के का सवाल यह नहीं है कि प्रस्ताव को पहले नेहरू ने ठुकराया या पटेल ने।

चंद्रन श्रीवास्तव

'कुछ ऐसी बात ना थी तेरा दूर हो जाना ये और बात कि रह-रह के दर्द उठता था'

ऐसा कहने वाले फिराक गोरखपुरी को बेशक मलाल था कि उनके उस्ताद सरीखे दोस्त जोश मलीहाबादी हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा बसे हैं, मगर इस शेर का कोई जाहिर रिश्ता हिन्दुस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान के कायम होने से नहीं है। लेकिन, जब से दलाई लामा का यह खयाल खबरों की सुर्खी बना है कि पाकिस्तान नहीं बनता अगर जिन्ना को अविभाजित भारत का वजीर-ए-आजम बनाने की महात्मा गांधी की बात जवाहरलाल नेहरू मान लेते, तब से दिल गहरे गोशे में यही शेर किसी सांप की तरह फन उठाकर चोट मार रहा है!

बंटवारे का दर्द और दर्द की तासीर

कुछ दर्द नातमाम किस्सों में ढल जाते हैं या यों कहिए कि कुछ दर्द तेवर में इतने तीखे होते हैं कि अपनी जान बचाए रखने के खयाल से उन्हें नातमाम अफसानों में ढाल लिया जाता है। हिन्दुस्तान के एक हिस्से का पाकिस्तान में तब्दील होना हम हिन्दुस्तानियों के लिए ऐसे ही दर्दों में शुमार है। हम कहानियां गढ़ते हैं कि इस दर्द को दिल से दूर रख सकें। कोशिश रहती है कि कहानियों की ओट हो जाए और पाकिस्तान बनने के सच का सामना करने से हम बच जाएं। कहानियां इतिहास के मैदान में हुई अपनी हार के नकार में मददगार साबित होती हैं। कहीं गहरे में हमें लगता है, पाकिस्तान का बनना हमारे आजादी के आंदोलन के नैतिक विश्वास की हार है। जितने कौम उतने ही मुल्क, क्योंकि हर कौम को खुदमुख्तारी का हक है – इस सिद्धांत पर पाकिस्तान बनाने का आंदोलन चला और बांग्लादेश के बनने तक अपने को कामयाब मानता रहा।

'कौम के हिसाब से मुल्क बनाने के खयाल में ही गड़बड़ है। नहीं बनना हमें ऐसा मुल्क! बेशक हिन्दुस्तान में एक से ज्यादा कौमें हैं। लेकिन भारत हमेशा से मुल्कों का मुल्क रहा है। यह महादेश है, इसमें सारे कौमों की समाई है और राष्ट्र-राज्य के नए चोले में भी विचार और आचार से महादेश बने रहना ही इतिहास-देवता का हमारे लिए हमेशा का संदेश है'- इस नैतिक विश्वास से हमारा आजादी का आंदोलन चला था। पाकिस्तान का कायम होना इस नैतिक विश्वास पर एकबारगी चोट साबित हुआ। इतने बरस गुजर गए लेकिन सियासत के महाभारत में नैतिक विश्वास की हुई यह हार हमसे कबूल नहीं होती। सो, एक मुल्क के रूप में अपनी हार का जिम्मा हम किसी एक शख्स के माथे पर थोप देते हैं। कहानियां ऐसा करने में मददगार साबित होती हैं।

दर्द के नकार की कहानियां

ऐसी कहानियों में एक है कि 'जिन्ना अव्वल दर्जे के जिद्दी थे, उन पर एक मुल्क का 'कायद-ए-आजम' कहलाने की सनक सवार हुई। इस सनक ने उन्हें जिद्दी बनाया। सो, गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद ही नहीं, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन की भी युक्तिसंगत बातों को उन्होंने नकारा और पाकिस्तान बनवा लिया। इस कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए सबूत पेश किया जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी निजी चिट्ठियों में जिन्ना को 'सायकोपैथिक केस', 'बास्टर्ड' और 'इविल जीनियस' जैसा नाम देकर याद किया है। (देखें अलेक्स वॉन तुंझेलमान की 'इंडियन समर- द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ ऐन एम्पायर' नाम की किताब) यह कहानी बंटवारे के लिए अकेले जिन्ना को दोषी ठहराती है, बगैर इस सच का सामना किए कि जिन्ना राजनीति को भी वकालत का अखाड़ा ही समझते थे। शायद ही ऐसा कोई मौका होगा जब उन्होंने राजनीति के मंच पर अपनी बात बिना तर्क और सबूत के तराजू पर तौले कही हो।

देश के बंटवारे का दोषी किसी एक व्यक्ति को बताती एक दूसरी और ज्यादा मशहूर कहानी है कि 'महात्मा गांधी ने जिन्ना को अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जिन्ना मान लेते लेकिन नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में महात्मा गांधी की कोशिश को नाकाम किया वरना पाकिस्तान नहीं बनता।' इस कहानी में पाकिस्तान के वजूद में आने का दोषी नेहरू को ठहराया जाता है और हर कहानी की तरह इसमें भी एक दहाड़ते हुए सच से कन्नी काट ली जाती है कि देश के बंटवारे के विचार से सबसे पहले पटेल ने सहमति जताई थी, नेहरू ने नहीं। पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी ने 'पटेलः ए लाइफ' में दर्ज किया है कि ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के फॉर्मूले को आधिकारिक तौर पर मंजूर करने के लगभग छह माह पहले (फरवरी 1947) पटेल अपना मन बना चुके थे कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार करके जिन्ना से छुटकारा पा लेना ठीक होगा। दरअसल, पटेल मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता से उकता चुके थे। हिन्दुस्तान की आजादी के सिपाहसलारों में एक मौलाना आजाद की किताब 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में भी यही बात तनिक अलग अंदाज में लिखी मिल जाती है कि 'लॉर्ड माउंटबेटन बड़े चतुर थे और अपने भारतीय सहकर्मियों के मन की बात ताड़ लेते थे। जैसे ही उन्हें लगा कि पटेल का उनके (विभाजन के) विचार को लेकर रुख नरम है, उन्होंने अपनी शख्सियत की चमक और ताकत का सारा जोर सरदार (पटेल) को राजी करने में लगा दिया। पटेल के सहमत होने के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना ध्यान जवाहरलाल की तरफ लगाया। जवाहरलाल पहले राजी नहीं थे और उन्होंने बंटवारे के विचार को लेकर बड़ा गहरा एतराज जताया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन उस घड़ी तक डटे रहे जब तक कि एक-एक करके जवाहरलाल का विरोध पस्त ना पड़ गया।' अगर बंटवारे के विचार से सबसे पहले सरदार पटेल सहमत हुए तो फिर सिर्फ नेहरू के बारे में यह कैसे कह सकते हैं कि जिन्ना को अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बनाने के गांधी का प्रस्ताव को उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के जोर में ठुकरा दिया था?

इस कहानी में कई पेंच हैं। ऐसा कहने पर एक मुश्किल और खड़ी होगी क्योंकि मुल्क का प्रधानमंत्री बनने की चाहत तो सरदार पटेल के मन में भी थी। इसी इच्छा से उन्होंने आजादी की निर्णायक घड़ी में नेहरू के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहा और गांधी के हस्तक्षेप के बाद अपना नाम वापस लिया। लेकिन जरा ठहरें, सरदार पटेल के प्रधानमंत्री बनने की चाहत के भीतर देश के बंटवारे की वजह ढूंढना जायज नहीं। दरअसल नेहरू को देश के बंटवारे के गुनाह से बरी करने की हड़बड़ी में यहां हम सरदार पटेल के साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि बंटवारे का दोष नेहरू के मत्थे मढ़ने वाली वाली कहानी में उनके (नेहरू) साथ किया जाता है। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए पटेल और नेहरू के बीच मुकाबले की लकीर देश की आजादी के करीब सवा साल पहले (अप्रैल 1946) खींची। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ना तो भारत के वॉयसरॉय बने थे और ना ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का यह फरमान ही सामने आया था कि भारत को अविभाजित रखने की भरपूर कोशिश करते हुए हद से हद 30 जून, 1948 तक 'सत्ता का हस्तांतरण' कर देना है। माउंटबेटन 20 फरवरी,1947 को वॉयसरॉय नियुक्त हुए। माउंटबेटन लिखते हैं कि 'गांधी ने 1 अप्रैल, 1947 को वॉयसरॉय गार्डन में उनके साथ टहलते हुए कहा कि जिन्ना को बुलावा भेजिए ताकि वे मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ केंद्र में अंतरिम सरकार बनाएं। यह सरकार वॉयसरॉय की देखरेख में उसी तरह काम करेगी जैसा कि अभी की अंतरिम सरकार कर रही है'। जाहिर है, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का गांधी का प्रस्ताव कांग्रेस-अध्यक्ष बनने की पटेल की कोशिश के बहुत बाद आया था, सो कहानी को एकदम सिरे से पलटते हुए यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री बनने की अपनी चाहत में ही पटेल ने गांधी के प्रस्ताव को ठुकराया और पाकिस्तान बन गया। दरअसल पटेल के पास उन निर्णायक घड़ियों में यह विकल्प था ही नहीं।

क्या जिन्ना को गांधी का प्रस्ताव मंजूर था

देश के बंटवारे को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर गांधी ने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव बेशक रखा था। लेकिन मार्के का सवाल यह नहीं है कि प्रस्ताव को पहले नेहरू ने ठुकराया या पटेल ने। अहम सवाल है कि क्या जिन्ना को गांधी का प्रस्ताव मंजूर था, क्या जिन्ना ने ही गांधी के प्रस्ताव को खारिज किया? अगर इस सवाल को अहम मानकर जवाब तलाशने निकलें तो माउंटबेटन के निजी दस्तावेजों में एक बात यह मिलेगी कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के गांधी के प्रस्ताव को जानकर ना तो नेहरू ने 'नाराजगी' जताई, ना ही वे 'हैरान' हुए। स्टेनले वोल्पर्ट ने 'जिन्ना ऑफ पाकिस्तान' में लिखा है कि नेहरू ने बस यह अंदेशा जाहिर किया था कि क्या खुद जिन्ना गांधी की बात मान जाएंगे। दूसरी बात यह पता चलेगी कि नेहरू और वी. पी. मेनन (बंटवारे की बातचीत के एक अहम किरदार, आखिर के तीन वॉयसरॉयों के संवैधानिक सलाहकार) ने माउंटबेटन से यह भी कहा कि गांधी पहले के मौकों पर भी जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश कर चुके हैं और जिन्ना ने पहले भी ऐसी पेशकश को अपनी वजहें गिनाते हुए ठुकरा दिया था। तीसरी बात यह कि सिर्फ नेहरू ही नहीं, उस वक्त की कांग्रेस कार्यकारिणी के कई और सदस्यों को भी गांधी का प्रस्ताव मंजूर नहीं था। और, चौथी बात यह कि खुद गांधी को भी विश्वास नहीं था कि जिन्ना उनकी बात मानकर देश के बंटवारे की अपनी योजना छोड़ देंगे। माउंटबेटन ने लिखा है- 'गांधी के प्रस्ताव ने मुझे हैरान किया। मैंने पूछा 'जिन्ना ऐसे प्रस्ताव के बारे में क्या कहेंगे? गांधी का जवाब था- अगर आप उन्हें बतायेंगे कि यह प्रस्ताव गांधी का है तो वो जवाब देंगे" कुटिल गांधी!।'

जिन्ना ने पहले भी ठुकराया था गांधी प्रस्ताव

जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का विचार गांधी ने कोई पहली मर्तबा नहीं रखा था। ऐसा पहली बार हुआ था 1940 यानी लीग के लाहौर वाले अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश और मंजूर होने के बाद। तब प्रधानमंत्री बनने के गांधी के प्रस्ताव के बारे में जिन्ना ने 30 नवंबर, 1940 को दिल्ली के एक जलसे में कहा- 'कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वे मिस्टर जिन्ना या मुस्लिम लीग के किसी और नुमाइंदे को हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। वे कहते हैं- 'ठीक है, चलिए सारी सत्ता मुस्लिम जन के ही हाथ रहे, हमें नहीं चाहिए सत्ता। हमें मुस्लिम शासन मंजूर है लेकिन ब्रिटिश शासन नहीं। ''क्या होश-ओ-हवास के कायम रहते कोई भी आदमी इन बात पर यकीन कर सकता है? मुस्लिमों को अब समझ आ चुकी है। तीन साल पहले वे जैसे थे, वैसे आज बिल्कुल नहीं और आज यहां आपके बीच जब मैं खड़ा हूं तो मुझे पक्का यकीन है कि अब से पांच साल बाद वे अभी से कहीं ज्यादा समझदार होंगे।'' कांग्रेस ने जिन्ना के सामने प्रधानमंत्री बनने की पेशकश दूसरी बार रखी 'भारत छोड़ो आंदोलन' के वक्त। तब भी जिन्ना के तर्क कमोबेश यही थे कि पेशकश इतनी अच्छी है कि 'उस पर सहज यकीन नहीं किया जा सकता।' उन्होंने ऐसी पेशकश में कांग्रेस की चाल देखी और 24 अप्रैल, 1943 के लीग के दिल्ली वाले जलसे में कहा कि '8 अगस्त (भारत छोड़ो आंदोलन) से ही कांग्रेस का रुख ये साबित करने का रहा है कि पाकिस्तान की मांग और नीति एक झूठ है।' दरअसल जिन्ना यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मुल्क के आजाद होने पर मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के साथ बराबरी और उदारता का बर्ताव होगा। वे इसकी गारंटी करना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि ऐसा सिर्फ उनकी शर्तों पर हो।

साल 1947 में सत्ता हस्तांतरण की निर्णायक बातचीत के वक्त तो खैर जिन्ना के पास प्रधानमंत्री बनने की गांधी की पेशकश को ठुकराने के ठोस कारण थे। माउंटबेटन ने इसकी तरफ इशारा करते हुए लिखा है- ''अगर वे सिर्फ मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के सहारे सरकार बनाते हैं तो फिर इस सरकार को एक ऐसी केंद्रीय असेम्बली का सामना करना पड़ेगा जहां कांग्रेस का बहुमत होगा। उन्हें इस बहुमत के बीच से ही जरूरी विधान पारित करवाने होंगे। दूसरी तरफ, अगर गठबंधन (लीग और कांग्रेस) की सरकार बनती है तो फिर ऐसी सरकार लीग के बनिस्बत कांग्रेस को मुनासिब पड़ने वाली शर्तों के अधीन बनानी होगी। दोनों ही स्थितियों में उनके (जिन्ना) लिए कांग्रेस के समर्थन का भरोसा करना हवाई मंसूबे बांधने की तरह है और निश्चित ही जिन्ना को कांग्रेस के रुख से तालमेल बैठाकर चलने के लिए राजी होना पड़ेगा।'' और अंत में वह बंटवारे का वक्त था, एक खूंखार और खूनी वक्त जब देश के गलियों में पूरब और पश्चिम हर ओर लोग धर्म के नाम पर खून के प्यासे हो रहे थे। जिन्ना ने 'दो कौम- दो मुल्क' के विचार को सच मानकर शेर की सवारी गांठी थी और अब यह शेर आदमखोर बनकर बेकाबू हो चुका था। दरअसल, नेहरू, जिन्ना और पटेल ही नहीं हजार सालों में कभी एक दफे धरती पर जन्म लेने वाली गांधी सरीखी संत शख्सियत के पास भी उस घड़ी वो कूवत नहीं बची थी कि 'दो धर्म- दो देश' के आदमखोर सियासी सिद्धांत को इस मुल्क की छाती से कलेजा काढ़ लेने से रोक ले ! हम बस अफसोस कर सकते हैं कि आह! आखिर को ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के वजूद में आने का दोषी नेहरू को ठहराया जाता है और हर कहानी की तरह इसमें भी एक दहाड़ते हुए सच से कन्नी काट ली जाती है कि देश के बंटवारे के विचार से सबसे पहले पटेल ने सहमति जताई थी, नेहरू ने नहीं।

https://hindi.firstpost.com/politics/was-jawaharlal-nehru-responsible-for-making-of-pakistan-and-division-of-india-rs-134149.html

***

अमेरिकी दबाव में भारतीय विदेश नीति

नई दिल्ली (ब्रह्मा चेलानी), ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का पहला दौर इस हफ्ते अमल में आ गया। अभी तक इसमें भारत के लिए राहत के को संकेत नहीं दिखे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें भारत को रूस के साथ रक्षा समझौतों के मामले में रियायत दी गई है, लेकिन यह छूट सशर्त है जो एक तय अवधि से जुड़ी हुई है। भारतीय मीडिया छूट से जुड़े कानून का तो उल्लेख कर रहा है, लेकिन उसमें जुड़ी शर्तों पर मौन है। भारत लंबे अर्से से रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और चीन के बाद ईरानी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के काफी प्रभावित होने की आशंका है। ऊर्जा एवं रक्षा जैसे मोर्चो को लेकर न दिल्ली पर दोहरा दबाव डालकर वाशिंगटन ने द्विपक्षीय रिश्तों में तल्खी बढ़ाने वाला काम किया है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि अमेरिका के अनुरूप विदेश नीति अपनाना भारत के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। किसी देश पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाने के दायरे का अमेरिका ने दूसरे देशों तक विस्तार कर उनके साथ व्यापारिक एवं वित्तीय गतिविधियां बंद करने की धमकी दी है। ऐसे प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ाते हैं, फिर भी अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसे करता है जिससे उसकी घरेलू कार्रवाई वैश्विक रूप ले लेती है। अमेरिकी डॉलर मुद्रा रूप में ऐसा ईंधन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाता है। इससे अमेरिकी प्रतिबंध बेहद प्रभावी बन जाते हैं। दुनिया में बैंकिंग से लेकर तेल के मामले में होने वाले बड़े लेनदेन अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये प्रतिबंध ट्रंप के दिमाग की सनक हैं। आज अमेरिका के समक्ष यह चुनौती है कि वह ईरान पर लगाए प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू कराए। जहां तक रूस की बात है तो उसे लेकर वाशिंगटन में अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस की अर्थव्यवस्था सिकुड़कर चीन के दसवें हिस्से के बराबर हो गई है और उसका सैन्य खर्च भी चीन के सामरिक व्यय के 20 प्रतिशत के बराबर सिमट गया है। ट्रंप के प्रतिबंधों का मकसद ईरानी अर्थव्यवस्था का दम निकालना है। इससे पहले वह ईरान के साथ अमेरिकी परमाणु करार को एकतरफा तौर पर खत्म कर चुके हैं। उनके इस कदम पर यूरोप तक में त्योरियां चढ़ गईं। रूस पर लगाए नए प्रतिबंध अमेरिकी कांग्रेस की पहल पर लगे हैं। उसने कानून बनाया जिसके आधार पर ट्रंप प्रशासन को मास्को के खिलाफ कदम उठाने पड़े। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिरीज सेंक्शंस यानी काटसा नाम का यह कानून उन देशों को धमकाने के लिए है जो रूसी हथियार खरीदने की हसरत रखते हैं।

इसका मकसद अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाना है। अमेरिका पहले से दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। एक और भी विरोधाभास है कि भारत को हथियारों की बिक्री के मामले में अमेरिका कब का रूस को पछाड़ चुका है। हालांकि जहां रूस भारत को आइएनएस चक्र जैसी परमाणु पनडुब्बी और आइएनएस विक्रमादित्य सरीखे विमानवाहक पोत उपलब्ध कराता है वहीं अमेरिका भारत को सैन्य साजोसामान की बिक्री कर रहा है। इनमें पी-8आइ सामुद्रिक निगरानी विमान, सी-17 ग्लोबमास्टर-3 और सी-130 जे सुपर हरक्युलिस सैन्य परिवहन विमान शामिल हैं। कुछ और कारणों से भी भारत मास्को के साथ रक्षा रिश्तों को यकायक समाप्त नहीं कर सकता। वह रूस निर्मित रक्षा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए रूसी कलपुर्जो पर निर्भर है। इनमें से कुछ सोवियत संघ के दौर के हैं।

नए अमेरिकी कानून के तहत भारत को रूस के साथ लंबित रक्षा सौदों को पूरा करने की जो गुंजाइश मिली है उसके तहत वह इंटरसेप्टर बेस्ड एस-400 ट्रायंफ एयर एवं एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे सौदों को पूरा कर सकता है, मगर रूस के साथ भविष्य में रक्षा सौदों के लिए भारत की राह में यह अमेरिकी कानून अड़चन पैदा कर सकता है। भारत के अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया को भी रूस के साथ रक्षा सौदों में अमेरिकी छूट मिली है। इस छूट में यह संदेश भी निहित है कि तीनों देश रूस पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं या फिर अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की मंशा इस छूट का फायदा उठाने की है। राष्ट्रपति प्रमाणन का अर्थ है कि इन देशों को उन कदमों का ब्योरा देना होगा कि वे रूसी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता घटाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही वाशिंगटन कम्युनिकेशंस कैपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए भी भारत पर दबाव बना रहा है।

भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम को रियायत देने की वजह भी यही है कि अमेरिका इन देशों को अपने पाले में लेने की कोशिश में लगा है। तुर्की भी रूस से एस-400 खरीद रहा है, लेकिन इस नाटो सदस्य देश को अमेरिकी संसद ने कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम पर अमेरिकी दबाव के बादल भी पूरी तरह नहीं छंटे हैं, क्योंकि उन्हें खुली छूट नहीं दी गई है। अमेरिका ईरान संबंधी प्रतिबंधों के माध्यम से भारत की ऊर्जा आयात नीति को प्रभावित करना चाहता है। भारत फिलहाल अपनी जरूरत का तीन चौथा से अधिक कच्चा तेल ईरान से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन सकता है। वाशिंगटन न केवल खुद भारत को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल और गैस बेचना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि भारत ईरान के बजाय सऊदी अरब और उसके खेमे के दूसरे देशों से इसकी ज्यादा खरीदारी करे। ईरान लंबे समय से भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत की ऊर्जा आयात विविधीकरण रणनीति में भी वह महत्वपूर्ण है।

यह भी ध्यान रहे कि अमेरिकी प्रतिबंध तेहरान के साथ न दिल्ली के राजनीतिक सहयोग को भी प्रभावित करेंगे जिसके दायरे में चाबहार बंदरगाह भी होगा। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत ने भारी निवेश से इस बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया है। पिछले साल अफगानिस्तान में एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने इस पर कहा था कि ईरान-भारत-अफगानिस्तान के बीच सहयोग की मिसाल बनी यह परियोजना चारों ओर स्थल सीमा से घिरे अफगानिस्तान के लिए आर्थिक संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी जो बंदरगाह के मामले में अभी तक बिगड़ैल पाकिस्तान पर निर्भर था। रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाकर भारत को निशाना बनाने और फिर अपने हक में रियायतें देने से अमेरिका भारत-अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी की धुरी पर टिके खुले एवं लोकतांत्रिक हिंदू-प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापक हितों का ही अहित कर रहा है। अमेरिका के कदम भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं।

https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-indian-foreign-policy-is-under-us-pressure-18304654.html

***

दलित-क्रांति के कवि अण्णा भाऊ साठे

अमरित लाल उइके

दीपक प्रकाश देता है। मगर, इसके लिए उसे तिल-तिल जल कर मरना होता है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही बात महाराष्ट्र के दलित शाहिर अन्ना भाऊ साठे पर लागु होती है। अण्णाभाऊ पूरा नाम तुकाराम भाऊ साठे था। जन्म 1 अगस्त, 1920 को सांगली जिले के वाटेगाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम भाऊराव और माता का नाम वालूबाई था। आपका विवाह जयवंती बाई से हुआ था। शुरू में आप बम्बई के घाटकोपर के चिराग नगर की एक चाल में रहा करते थे। आपका जन्म मांग जाति में हुआ था जिसे अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर रखा था। हिन्दू वर्णाश्रम धर्म में मांग जाति के लोगों का कार्य गाँव की पहरेदारी करना होता है। उनके घरों की दीवारों पर तलवारे लटकती रहती है मगर, घर में खाने को नहीं रहता। अण्णा भाऊ भी इससे अलग नहीं थे। देश में उस समय अंग्रेजी राज्य के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन हो रहे थे। अण्णाभाऊ ने सन 1947 के दौरान नाना पाटिल आदि क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के विरुध्द बगावत में डट कर भाग लिया था। उस समय अण्णाभाऊ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े थे। उनके जिम्मे पार्टी का प्रचार कार्य था। अण्णाभाऊ दलित-शोषितों के बीच एक लोकप्रिय जन-कवि के रूप में प्रसिध्द थे। वे विनोदी स्वभाव के थे। वे अपनी क्रांतिकारी शाहिरी के बीच जब विनोद की बातें करते तो पब्लिक में हँसी के फव्वारे छूटते थे। वे एक बड़े ही दिलचस्प कलमकार थे। उन्होंने अपनी कविता, कहानी और नाटकों से दलित-शोषितों को उनके अस्मिता की जुबान दी थी।

उन्होंने लोकयुध्द के साप्ताहिक रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया था। अण्णाभाऊ के क्रान्तिकारी काव्य की शोहरत रूस, जर्मनी, पोलेंड आदि देशों तक पहुंची थी। उनकी किताबों के वहां अनुवाद हुए थे। इन मुल्कों में वे शोषितों के साहित्यकार के रूप में पहिचाने जाने लगे थे। उन्हें इन देशों से निमंत्रण आते थे। सन 1948 में उन्हें विश्व साहित्य परिषद् का निमंत्रण मिला था। मगर, भारत सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। डॉ. आम्बेडकर के अण्णाभाऊ बड़े प्रशंक थे। बाबा साहेब के निधन पर दलित-शोषितों के लिए अण्णाभाऊ ने शाहिरी की थी

जग बदल घालूनी घाव-सांगुनी गेले मला भीमराव।
गुलामगिरिच्या चिखलात-रुतूनी बसला एरावत।
अंग झाडुनी निघ बाहेरी-घे बिनीवरती घाव।

(अपने प्रहार से दुनिया को बदल डालो, ऐसा मुझे भीमराव कह कर गए हैं। हाथी जैसी ताकत होने के बावजूद गुलामी के दलदल में क्यों फंसे रहते हो। जिस्म को झटक कर बाहर निकलो और टूट पड़ो।)

निःसंदेह, डॉ. आम्बेडकर के कार्यो ने दलित समाज के लेखक, कवि और नाटककारों में सामाजिक जागरुकता के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी। सन 1935 में जब उन्होंने धर्मान्तरण करने का एलान किया तो सामाजिक चेतना के इन कलमदारों ने उनके पैगाम को दलित झोपड़ियों तक पहुँचाया। मांगरुलकर, तातुबा, गणू नेर्लेकर, पेठकर, बाबाजी मलवनकर, नाना गिरजकर, अप्पा, यलप्पा, कराळकर और गुंड्या आदी

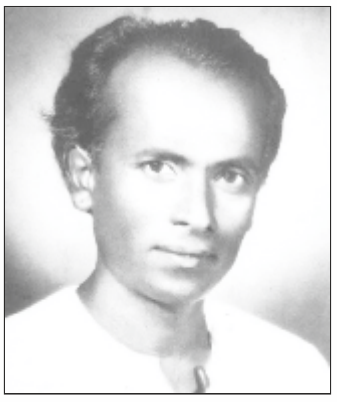

जन-कवियों को दलित-क्रांति का इतिहास लंबे अर्से तक याद रखेगा। सन 1959 में अण्णा भाऊ ने अपनी मशहूर किताब ''फकीरा'' लिखी। यह ग्रन्थ सन 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मांग समाज के क्रांतिवीर फकीरा के संघर्ष पर था। इस पुस्तक को अण्णाभाऊ ने डॉ. आम्बेडकर को समर्पित किया था।

अण्णाभाऊ वास्तव में, कलमकार थे। वे सिर्फ कवि ही नहीं थे, उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए कई विधाओं का सहारा लिया था। उन्होंने 40 के ऊपर उपन्यास लिखे। 300 के आस-पास कहानियां लिखी। उनके कई काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने कई नाटक लिखे। यहाँ तक कि उन्होंने कई चित्र-पट कथाएं भी लिखी। उनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कई विदेशी भाषाओँ में हुआ। इसके अलावा हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलियाली, उड़िया आदि देशी भाषों में भी हुआ। अण्णाभाऊ को ''इंडो-सोवियत कल्चर सोसायटी'' की और से रूस आने का निमंत्रण मिला था। इस यात्रा का जिक्र उन्होंने अपने सफरनामा ''माझा रशियाचा प्रवास'' (मेरा रशिया का सफर) में किया है।

अण्णाभाऊ के कलम की शोहरत महाराष्ट्र के सिने-जगत में तो थी ही, हिंदी सिने-जगत भी इससे अछूता नहीं था। उनकी 10 से अधिक कहानियों पर फिल्मे बनी जिसमे ''फकीरा'' भी है। याद रहे, अण्णाभाऊ ने इस फिल्म की न सिर्फ पट-कथा लिखी थी वरन, फिल्म के एक किरदार ''सावळ्या'' का रोल भी किया था। मगर, ये सब अण्णाभाऊ साठे की जिंदगी की शोहरत का एक हिस्सा था। असल में ये कलम की शोहरत कभी उनके घर की माली हालत की हिस्सेदार नहीं बनी। वे गरीब परिस्थिति के तो थे ही, उनके दलित-कलमकार और जाति-गत स्वाभिमान ने कभी उन्हें अपनी जमीन से ऊपर उठने नहीं दिया। दूसरे, उंच-नीच की घृणा पर आधारित हिन्दू समाज-व्यवस्था में दलित कवि या लेखक का जीना बड़ा दूभर होता है।

एक बार, उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि अण्णा भाऊ, आपकी कई किताबों का अनुवाद विदेशों में हुआ है। मास्को में आपके अनुवादित किताबों के रकम की भारी रायल्टी वहां इकठ्ठा हुई होगी। आप उसे हासिल करके बड़ा-सा बंगला क्यों नहीं बनवा लेते और फिर वहां लिखने का कार्य जारी रख सकते हैं? इस पर, पता है अण्णा भाऊ ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि बंगले में मजे से आराम कुर्सी पर बैठ कर लिखने से सिर्फ कल्पनाएँ सूझ सकती है। लेकिन, गरीबी का दर्द और पीड़ा भूखे पेट रह कर ही महसूस की जा सकती है! उनके ये ख्याति-प्राप्त मित्र कलाकार विठ्ठलराव उपम थे।

अण्णाभाऊ की ख्याति के साथ-साथ उनके दुश्मन भी पैदा हुए थे। ब्राम्हण कम्युनिस्ट तो हाथ धोकर कबके उनके पीछे पड़े थे। उनकी कविता, कहानी और नाटकों पर स्थापित राष्ट्रिय साहित्कारों को खासी आपत्ति थी। उनके लिखे नाटकों के मंचन में भारी रूकावट पैदा हो रही थी। अंततः अण्णाभाऊ को नाटकों से अपने को अलग करना पड़ा। यह उनके लिए बड़ा आघात था। आघात इतना बड़ा था कि वे उसे बर्दास्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने-आप को शराब के हवाले कर दिया। जिस शख्स के घर के सामने से शराबी जाने से डरता था, वह अब शराब का दास बन गया। धीरे-धीरे अण्णाभाऊ मौत के मुंह में समाने लगे। उनके प्रकाशकों ने उनके साथ दगा किया। उनके अपने रिश्तेदारों ने उनके पास जो भी था, उसे हजम कर लिया और फिर, 18 जुलाई 1969 को यह लोक शाहिर सदा के लिए मौत के मुंह में समां गया।

सोचता हूँ कि आखिर, ऐसे क्रन्तिकारी जन-कवि की मौत यूँ क्यों होती है? जो शख्स जन-चेतना की अलख जगाने अपनी जिन्दगी कुर्बान कर देता हो, सामाजिक-क्रांति की बात करते-करते सीने पर गोली खाने का तैयार रखता हो, उसके खुद्दारी की इन्तहा इस कदर क्यों होती है? मुझे लगता है कि विश्व-विद्यालयों में पढ़ने वाले जिन बच्चों ने अण्णा भाऊ के संघर्ष पर पी.एच.डी. और डॉक्टरेट किया है, आज नहीं तो कल जरुर वे इस पर गौर करेंगे।

http://amritlalukey.blogspot.com/2011/11/anna-bhau-sathhe.html

***

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

All India Confederation of SC/ST Organizations

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के तत्वावधान में

पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु एवं दलित आत्याचारों के विरोध में

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018

(सोमवार) सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गीरीश चन्द्रा पायरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, विश्वनाय, सत्यवान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह घारू, रोहित सोनकर (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, पंचम राम, विश्राम मीना, एम. एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्टा राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्राता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी.सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र विश्वास (त्रिपुरा)

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

परिसंघ का एकदिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कासीपुर कोलकाता में संपन्न

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का एकदिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन 12 अगस्त रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में कासीपुर कोलकाता के तोप एवं गोला निर्माणी के मनोरंजन सभागृह में हजारों कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

पूर्वांचल के इस सभा में पश्चिम बंगाल, उड़ीशा, झारखण्ड, मणिपुर, असम एवं सिक्किम के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। देश में बदले हुए दलितों के खिलाफ अत्याचार तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दलित के अधिकार को नाश करने जैसे मुद्दों पर लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ है। ऊपर से सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर न्यायालय द्वारा दिये गये अलग-अलग फैसले तथा पदोन्नति में आरक्षण में योग्यता के आधार वाली प्रणाली में छेड़-छाड़ होने के कारण लोगों का गुस्सा उफान पर है। ऐसी परिस्थियों में सांसद डॉ. उदित राज को अपने बीच पाकर ये सब अपने सारे दुखः दर्द के बारे में खुलकर बोलने लगे। लोगो का यह भी कहना था कि सरकारी नौकरियां जब कम होती जा रही है तब निजीक्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? सारी बातें सुनकर पूर्व आई.आर.एस. अधिकारी माननीय डॉ. उदित राज ने कहा कि अगर आरक्षण न होता तो वे आज सांसद नहीं बन पाते। उन्होंने आरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को बताया। उनका कहना था कि अगर देश की 80 प्रतिशत आबादी छुआछूत तथा ऊंच-नीच के बंधन में बंधा होता है तथा गरीबी के कारण बदहाल जिन्दगी बिताता है तब देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तब हो सकती है जब देश की शत-प्रतिशत आबादी शिक्षित होगी तभी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर पायेगा तथा देश की उन्नति का भागीदार बनेगा। इसलिए जो असमानता पहले से है उसे आरक्षण के माध्यम से दूर करना होगा और जब तक असमानता दूर नहीं होता तब तक आरक्षण तथा दलित उत्पीड़न निवारण विरोधक कानून को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में आरक्षण न होने से एवं जजों द्वारा जजों कि नियुक्ति होने से दलित-आदिसवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। समान न्याय पाने के लिए न्यायपालिका में जाना दलितों के लिए मुश्किल की बात होती है क्योंकि वकीलों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि उसे भर पाना दलितों के लिए मुमकीन नहीं है। इसके चलते कुछ अमीर लोग अपने पैसों के बल पर न्यायालय से दलित उत्पीड़न तथा पदोन्नती में आरक्षण जैसे मामलों में दलितों के अधिकार को छीन लेते हैं। उन्होंने बंगाल के मसहूर वकील देशबंधु चितरंजनदास का एक वकतव्य याद किया (Court is a Place where Justic can be Highly Purchesed)।

मंच पर बैठे डॉ. उदित राज जी के साथ देवी सिंह राणा, मधु चंद्रा, डी.के. बेहरा, पी. बाला, विवेक सोनकर व अन्य

डॉ. उदित राज जी रविवार को कोलकाता में जनता को सम्बोधित करते हुए बताया कि चार साल पहले उन्होंने लोकसभा में निजीक्षेत्र में आरक्षण का बिल पेश किया लेकिन जब तक करोड़ों की संख्या में समर्थन लेकर हम सड़कों पर नहीं उतरेगें तब तक ये बिल पास नहीं हो पायेगा। सांसद डॉ. उदित राज जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे सरकार से आग्रह करेगें कि बाकी बचे सारे संवेदनशील मुद्दों को वो जल्द से जल्द हल करें।

पूर्वाचल का यह कार्यक्रम बहुत ही शांति एवं सुचारू रूप से चला, सुबह 9 बजे से देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लोगों ने पहले संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की आत्मजीवनी तथा उनकी कार्यकुशलता पर विशेष चर्चा की। बाद में वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा हुई। पूरे कार्यक्रम को बंगाल स्टेट कमिटी के अध्यक्ष श्री पी. बाला, उपाध्यक्ष श्री मनीमोहन विश्वास, महासिचव श्री सुब्रता बातुल तथा सेल फैक्ट्री के एस.सी, एस.टी एवं ओबीसी कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न हुआ। सभी राज्यों से आए लोगों को रहने तथा खाने की व्यवस्था कमिटी द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम में पूर्वाचल के संयोजक के रूप में श्री सधन नसकर को जिम्मेदारी दी गयी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कम से कम सौ कर्मचारी संगठन तथा जिला संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। लोगों ने अपने प्रिय नेता से वादा किया कि दिसम्बर के महीने में दिल्ली रैली में अधिक से अधिक संख्याा में भाग लेकर सड़क जाम कर देगें ताकि सरकार उनकी बात प्रस्तावित सुनने पर मजबूर हो जाए। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष महोदय ने लोगों की समस्या सुनी एवं हाल-चाल भी पूछा। पूरे कार्यक्रम को तोप एवं गोला निर्माण के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन के महासिच श्री मनीमोहन विश्वास द्वारा संचालित किया गया।

***

दुनिया के भ्रष्टाचार मुक्तदेशों में शीर्ष पर गिने जाने वाले न्यूजीलैंण्ड के एक लेखक ब्रायन ने भारत में व्यापक रूप से फैंलें भष्टाचार पर एक लेख लिखा है। ये लेख सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेख की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए विनोद कुमार जी ने इसे हिन्दी भाषीय पाठकों के लिए अनुवादित किया है।

''न्यूजीलैंड से एक बेहद तल्ख आर्टिकिल।''

''भारतीय लोग होब्स विचारधारा वाले है (सिर्फ अनियंत्रित असभ्य स्वार्थ की संस्कृति वाले)''

भारत मे भ्रष्टाचार का एक कल्चरल पहलू है। भारतीय भ्रष्टाचार मे बिलकुल असहज नही होते, भ्रष्टाचार यहाँ बेहद व्यापक है। भारतीय भ्रष्ट व्यक्ति का विरोध करने के बजाय उसे सहन करते है। कोई भी नस्ल इतनी जन्मजात भ्रष्ट नही होती 'ये जानने के लिये कि भारतीय इतने भ्रष्ट क्यो होते हैं उनके जीवनपद्धति और परम्पराये देखिये।'

भारत मे धर्म लेनेदेन वाले व्यवसाय जैसा है। भारतीय लोग भगवान को भी पैसा देते हैं इस उम्मीद मे कि वो बदले मे दूसरे के तुलना मे इन्हे वरीयता देकर फल देंगे। ये तर्क इस बात को दिमाग मे बिठाते हैं कि अयोग्य लोग को इच्छित चीज पाने के लिये कुछ देना पडता है। मंदिर चहारदीवारी के बाहर हम इसी लेनदेन को भ्रष्टाचार कहते हैं। धनी भारतीय कैश के बजाय स्वर्ण और अन्य आभूषण आदि देता है। वो अपने गिफ्ट गरीब को नही देता, भगवान को देता है। वो सोचता है कि किसी जरूरतमंद को देने से धन बरबाद होता है। ''जून 2009 मे द हिंदू ने कर्नाटक मंत्री जी जनार्दन रेड्डी द्वारा स्वर्ण और हीरो के 45 करोड मूल्य के आभूषण तिरुपति को चढाने की खबर छापी थी। भारत के मंदिर इतना ज्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं कि वो ये भी नही जानते कि इसका करे क्या। अरबो की सम्पत्ति मंदिरो मे व्यर्थ पडी है।'

जब यूरोपियन इंडिया आये तो उन्होने यहाँ स्कूल बनवाये। जब भारतीय यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वो वहाँ मंदिर बनाते हैं। भारतीयों को लगता है कि अगर भगवान कुछ देने के लिये धन चाहते हैं तो फिर वही काम करने मे कुछ कुछ गलत नही है। इसीलिये भारतीय इतनी आसानी से भ्रष्ट बन जाते हैं। भारतीय कल्चर इसीलिये इस तरह के व्यवहार को आसानी से आत्मसात कर लेती है, क्योंकि 1 नैतिक तौर पर इसमे कोई नैतिक दाग नही आता। एक अति भ्रष्ट नेता जयललिता दुबारा सत्ता मे आ जाती है, जो आप पश्चिमी देशों में सोच भी नही सकते ।

2 भारतीयों की भ्रष्टाचार के प्रति संशयात्मक स्थिति इतिहास मे स्पष्ट है। भारतीय इतिहास बताता है कि कई शहर और राजधानियों को रक्षको को गेट खोलने के लिये और कमांडरो को सरेंडर करने के लिये घूस देकर जीता गया। ये सिर्फ भारत मे है भारतीयों के भ्रष्ट चरित्र का परिणाम है कि भारतीय उपमहाद्वीप मे बेहद सीमित युद्ध हुये। ये चकित करने वाला है कि भारतीयो ने प्राचीन यूनान और माडर्न यूरोप की तुलना मे कितने कम युद्ध लडे। नादिरशाह का तुर्को से युद्ध तो बेहद तीव्र और अंतिम सांस तक लडा गया था। भारत मे तो युद्ध की जरूरत ही नही थी, घूस देना ही ही सेना को रास्ते से हटाने के लिये काफी था। कोई भी आक्रमणकारी जो पैसे खर्च करना चाहे भारतीय राजा को, चाहे उसके सेना मे लाखो सैनिक हो, हटा सकता था। प्लासी के युद्ध मे भी भारतीय सैनिको ने मुश्किल से कोई मुकाबला किया। क्लाइव ने मीर जाफर को पैसे दिये और पूरी बंगाल सेना 3000 मे सिमट गई। भारतीय किलो को जीतने मे हमेशा पैसो के लेनदेन का प्रयोग हुआ। गोलकुंडा का किला 1687 मे पीछे का गुप्त द्वार खुलवाकर जीता गया। मुगलो ने मराठे और राजपूतों को मूलतः रिश्वत से जीता श्रीनगर के राजा ने दारा के पुत्र सुलेमान को औरंगजेब को पैसे के बदले सौंप दिया। ऐसे कई केसेज हैं जहाँ भारतीयो ने सिर्फ रिश्वत के लिये बडे पैमाने पर गद्दारी की। सवाल है कि भारतीयों मे सौदेबाजी का ऐसा कल्चर क्यो है जबकि जहाँ तमाम सभ्य देशो में ये सौदेबाजी का कल्चर नही है।

भारतीय इस सिद्धांत मे विश्वास नही करते कि यदि वो सब नैतिक रूप से व्यवहार करेंगे तो सभी तरक्की करेंगे क्योंकि उनका ''विश्वास/धर्म'' ये शिक्षा नहीं देता। उनका कास्ट सिस्टम उन्हे बांटता है। वो ये हरगिज नही मानते कि हर इंसान समान है। इसकी वजह से वो आपस मे बंटे और दूसरे धर्मो मे भी गये। कई हिंदुओ ने अपना अलग धर्म चलाया जैसे सिख, जैन बुद्ध, और कई लोग इसाई और इस्लाम अपनाये। परिणामतः भारतीय एक दूसरे पर विश्वास नही करते। भारत मे कोई भारतीय नही है, वो हिंदू ईसाई मुस्लिम आदि हैं। भारतीय भूल चुके हैं कि 1400 साल पहले वो एक ही धर्म के थे। इस बंटवारे ने एक बीमार कल्चर को जन्म दिया। ये असमानता एक भ्रष्ट समाज मे परिणित हुई, जिसमे हर भारतीय दूसरे भारतीय के विरुद्ध है, सिवाय भगवान के जो उनके विश्वास मे खुद रिश्वतखोर है।

लेखक-ब्रायन, गाडजोन न्यूजीलैंड

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

Dalits Need To Show Their Strength To Be Heard, Says BJP MP Udit Raj

Udit Raj, Member of Parliament, BJP on reservations for Dalits, judiciary and why he recently called Dalit MPs "parasites".

As Centre gears up to restore the SC/ST (Prevention Of Atrocities) Act, overturning the March 20 order of the Supreme Court, Dalit BJP MP Udit raj tells Outlook's Pragya Singh how the April 2 protests by the community had a huge bearing on Dalit politics, and why it is imperative for Dalits to show their strengths to be heard.

Excerpts: How is the April 2 Bharat Bandh affecting Dalit politics till today?

That protest has had a huge bearing that must be addressed. Since April 2, things have deteriorated. Important functionaries of the community should communicate with people. That's why after April 2 Dalit's leaders are speaking out. The anger has turned against BJP though this is not unusual. Invariably protests are direct against governments. If it was Samajwadi Party or Congress party (government), protests would have been against them. Instead of bringing an ordinance the judge who delivered the SC ruling has been promoted. It is almost like a deliberate thing…

That is why there is a huge difficulty and we are appealing to the government to bring an ordinance or legislation in this session to restore the Atrocities Act. We have been appealing for this in Parliament and 15-20 of us met the Prime Minister on 29 May. Do you think other parties will benefit from this situation?

They will try to. Whether I am part of government or not, the fact is that the Dalits have to show their strength in order to be heard. That is why they have social movements. Hence there is talk about protests on August 9, because people feel the need to articulate very pointed issues.

You have called some of the Dalit leaders "parasites". Why?

Of course they are parasites for the party. They are made leaders by their party, not by the community to which they belong. Once a party picks someone up and makes him a leader, his recognition makes him a leader. Only someone from the cause—whether social movement or political party—can successfully represent the community he belongs to. Otherwise he represents the feelings of his party. That's why I called them parasites. The party has not said they should not engage with the people. Every party wants that their (Dalit) leaders to deliver. As an MP, a party leader, they should deliver for their party but that what are they doing? They should go to the grassroots, talk to people, educate them and struggle with them if there are problems. This is round the year work not one week's work. The party should have told them (to do this) and what else have they been made MP for? Either the party should remove them or they should introspect.

Do you support the removal of the NGT's new chairman?

Yes, he should be removed. If the government replaces the NGT chairperson, would BJP's core voters feel alienated?

That is the signal that has gone out. I would also like to speak my mind about the judiciary. I trust the judiciary but it is exercising extra-Constitutional powers in different areas. What were Dalit leaders doing when the collegium system came into being? It should have been opposed. It was neither a Constitutional provision nor law made by Parliament. On their own they (judiciary) have done it. That is illegal and unconstitutional. The Constitution doesn't mention that judges will be appointed by judges still it is happening.

What is the correct system in your view?

I find that America (and in some other countries) has a Republican versus Democratic political system but judges are more fair there. Each American state has a Supreme Court and in some states the Chief Justice is directly elected by the people, like in Indianapolis. In some states Republican and Democratic candidates try for nomination as district, appellate or Supreme Court judges. So they have a three-layer judicial system whose nominees are sent from the parties and that's how judges come into office there. Tell me, their judges are chosen in line with the politicians and yet they are very fair. What happens here is that a (politician is) always doubted.

Dalit youth don't seem to be in a mood to compromise with politics right now. How can this change?

They too need to change. Ask them whom they are supporting and you will find there is only negativity. They don't support anyone. They are also selfish. They would support a party because they think it can give (benefits) but not their own leaders. That's why hardly anything is left in the hand of leaders. Is this because Dalit leaders are elected only from reserved seats? And mostly even those candidates are privileged people. So looking back, would separate electorates have been a better idea? That would have been a better idea. Why is that?

Under the existing system Dalit MPs are not elected by Dalit voters. They are elected by non-Dalits. And whose population is the largest in the country—the non-Dalits, 80-85 per cent of the population. But if Dalits, some sections of OBCs and Muslims come together then would this scenario change? It is a fact that Dalits and Muslims have come closer. But this is not showing up in mainstream politics. You are right: leaders are a lot less united than the masses. In UP we saw that immediately after the alliance for bypolls in Gorakhpur etc were announced, the Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party workers came very close to each other. Many had expected old caste rivalries to come in the way of this alliance, which didn't happen…

It wasn't only Dalit groups that came together. That is why they could defeat the BJP. On their own the BSP workers campaigned—and very happily. Is that because BSP has very good workers? Not because of the BSP. It is the mindset. Mindset of the BSP worker is basically against BJP. This does not reflect the strength of the party but the strength of thought: Their ideology is strong, not the party alone. So BJP's goal would be to try limiting Mayawati's voters and not let her share expand? They could have used me to do this right from the beginning. In what way? To connect with voters on the ground since 2014—this is what I had expected. Of course it is their choice. Sooner or later I will get the opportunity. Experiences teach a party... What do you say to people opposed to reservations? The government works towards economic empowerment all year, with 200-plus schemes directly targeting poverty. If those schemes are not useful or they have not yielded results then how come reservation can remove poverty? Within SCs there is an argument that some groups have taken a lion's share of reservation. What do you think?

That is true but this is a cultural issue. Soon after Independence, castes which were really very poor benefited more because of awareness and because of lack of opportunities. Castes that were just a little more well-to-do did not get as many benefits either because they were complacent or did not pay much attention to education. Would it be okay to have a creamy layer in the SC reservations? No, because reservation is not an economic empowerment tool. It is a tool for raising representation. What do you think of arguments for reservations on economic criteria? Over time reservation has been diluted a lot. There are not as many jobs either but even one government job makes a big difference to whole generations of a family. If in a village someone becomes a police inspector, lecturer or clerk the mindset of the entire village changes. Even if that individual lives in a city, if something goes wrong in his village, he gives assistance and knowledge. That's why reservation is a political and social tool for empowerment. It's also said that the Atrocities Act is being misused? Even upper castes misuse this law against each other, by using Dalits as a tool. What about laws against dowry? There have been cases where relatives (of the bride) were not even in India but they were implicated for dowry. Why should that not be evaluated—why only reservation is debated?

https://www.outlookindia.com/website/story/dalits-need-to-show-their-strength-to-be-heard-says-bjp-mp-udit-raj/314399

***

Confederation Rally

3rd December 2018
Ramlila Maidan, New Delhi

The Mega rally of All India Confederation of SC/ST Organization (Parisangh) has been finalized for 3rd December 2018 at 10 AM at the Ramlila Maidan, New Delhi (Near New Delhi railway Station) on the issue of Reservation and other matters related to SC/ST. If after the increasing atrocities against the SC/STs we still remain quiet, then nobody can save our rights. The reason behind such atrocities can also be like our test of patience. All the stakeholder are requested to start preparing for this rally and make it successful. All India Confederation of SC/ST will provide all the related promotion material and instructions via **"Voice of Buddha"** and other means. All those travelling via train shall make their reservations immediately. All State Presidents of those states whose state level meetings have not been conducted shall organize such meeting immediately. Where ever required, I will also attend the same.

To stay updated about the news of this rally, like the facebook page at **www.facebook.com/aiparisangh**, follow us on twitter **@aiparisangh** and youtube at **"aiparisangh"** and vist our website at **www.aiparisangh.com**. To get more information call Sumit at 9868978306.

Dr.Udit Raj, (Ex. IRS) National Chairman

AlParisangh AlParisangh 9899766443 parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 18 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 August, 2018

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

For Reservation in Promotion & Pvt. Sector & against the Dalit Atrocities

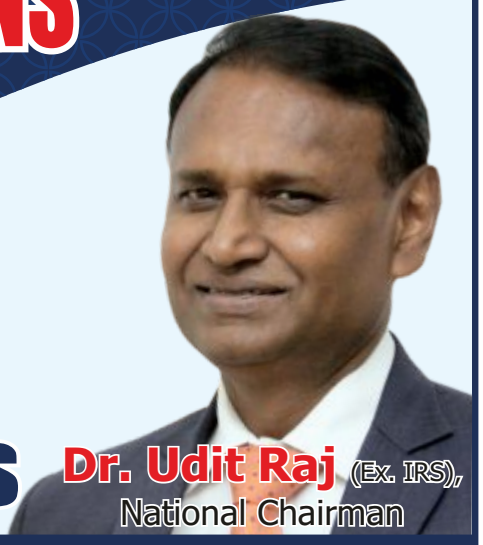

Dr. Udit Raj (Ex. IRS), National Chairman

RALLY

03rd December, 2018

Monday, at 10 AM

Ramlila Ground, New Delhi

Join in large number to make the Rally successful

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhmar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP), Siddharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble (Maharashtra), S.P. Jarawata, Vishwanath, Satyawan Bhatia, Mahasingh Bhurania, (Haryana), Tarshem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Maniram Badgurjar, Pancham Ram, Vishram Meena, M. L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Alekh Malik, D.K Behera (Orissa), Paramhans Prasad, Vipin Toppo, Narendra Chaudhary (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palteti Penta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdeve (Ch.), P. Bala, Sadan Naskar, Subrata Batul (West Bengal) Madhusudan Kumar, Welfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra, B.L. Bhardwaj (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thippesh, (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfore, Jai Karan (Assam), C.B. Subba (Sikkim), Prakash Chandra Biswas (Tripura)

Corres.: T-22 Atul Grove Road, Connaught Place. New Delhi -110001 Ph.No. 011-23354841/42, Mob.: 9868978306, Fax : 011-23354843

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar